प्रेषक

वरिष्ठ नगर योजनाकार
हिसार परिमण्डल, हिसार ।

सेवा में

प्रशान्त कुमार पुत्र श्री औमप्रकाश निवासी,
मण्डी डबवाली, तहसील डबवाली,
जिला सिरसा ।

यादि कमांक-- 742 दिनांक 27-2-12

विषयः– अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बारे–प्रशान्त कुमार सुपुत्र श्री आमप्रकाश निवासी मण्डी डबवाली त0–डबवाली जिला सिरसा ।

हवालाः– जिला नगर योजनाकार, सिरसा कार्यालय के पत्र कमांक--516 दिनांक 21.02.12 के सन्दर्भ में ।

विषयक सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि उपरोक्त बारे हवालाधीन पत्र के अन्तर्गत जो रिपोर्ट एवं दस्तावेज इस कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, में दिये गये विवरण अनुसार आवेदनकर्ता प्रशान्त कुमार सुपुत्र श्री औमप्रकाश द्वारा आवेदित स्थल भूमि खसरा नं0– 30//8/2 कुल रकबा 864 वर्गगज गांव डबवाली तहसील डबवाली व जिला सिरसा में होटल/रैस्टोरेन्ट बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र बारे आवेदन किया हुआ है । आवेदित स्थल शहरी क्षेत्र डबवाली एवं पुरानी नगरपालिका सीमा डबवाली के अन्दर पडता है तथा किसी भी नियन्त्रित क्षेत्र से बाहर पडता है । आवेदित स्थल डबवाली चौटाला अनुसूचित सडक पर पडता है । जिला नगर योजनाकार, सिरसा कार्यालय द्वारा विषयक केस में अर्बन एरिया एक्ट नं0–8 वर्ष–1975 की धारा –7 (i) की उल्लंघना नहीं माना है ।

अतः प्राप्त रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के मध्यनजर उपरोक्त आवेदनकर्ता द्वारा विषयक स्थल पर होटल/रैस्टोरेन्ट बनाने पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है ।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक स्थल पर लागू अन्य विभागों के एक्टस एवं धाराओं से छूट प्रदान नहीं करता है ।
2. विषयक स्थल के नियन्त्रित क्षेत्र में आ जाने पर नियन्त्रित क्षेत्र से सम्बन्धित नियम एवं कानून लागू होंगे ।
3. विकास शुल्क एव अन्य कोई राशि इस विभाग द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर–2 देय होगी ।
4. विषयक स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व नगरपालिका डबवाली से नियमानुसार भवन प्लान स्वीकृत करवाने होंगे ।
5. आवेदनकर्ता द्वारा नियमानुसार फायर सैफटी प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा स्थल पर निर्माण नियमानुसार किया जाऐगा ।
6. इस कार्यालय के पत्र कमांक 271–74 दिनांक 7.02.11 के अन्तर्गत जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्द समझा जाऐगा ।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त को पूरा ना किए जाने की हालत में ये अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने आप रद्द हो जाएगा ।

वरिष्ठ नगर योजनाकार
हिसार परिमण्डल, हिसार ।

पृ0 कमांक– दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को हवालाधीन पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है ।

1. वरिष्ठ नगर योजनाकार, (ई0 एण्ड वी0) हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. जिला नगर योजनाकार, सिरसा ।
3. सचिव, नगरपालिका डबवाली ।

वरिष्ठ नगर योजनाकार
हिसार परिमण्डल, हिसार ।